

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डुंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनान

किस्म मुकदमा- पत्थरगढी

नं.

सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मध्य इनिधिलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम को इस मुकदमा के तथैयों के तथैयों में जारी हुए
01.2.2021	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>मेरीक अमर भूषण</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रजिस्ट्रार के तहत नया नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ड्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रजिस्ट्रार के तहत एक आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>गजरीसतारा</u> पटवार नखल <u>सिद्धा</u> तहसील डुंगला की आराजी नम्बर <u>2677/2289</u></p> <p>रकबा <u>0.7530</u> हैक्टर/बीघा भूमि न्यून के खातेदारी लेकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थानीय सीमा विवाद नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पक्षीय है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात को पत्थरगढी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी और बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डुंगला को <u>1000/-</u> अक्षर एक हजार रुपये की पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे कारत में दखल दिये मौजा <u>गजरीसतारा</u> पटवार नखल <u>सिद्धा</u> तहसील डुंगला की आराजी नम्बर <u>2677/2289</u></p>	
	<p>रकबा <u>0.7530</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढी मुकदमल तौर पर को जावे।</p> <p>पत्थरगढी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>01.4.2021</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी डुंगला </p> <div style="text-align: right;">  </div>